

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरमों में तैनात अध्यक्षों को जिला उपभोक्ता फोरमों के कार्यालय का आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए उन्हें डी0डी0ओ0 कोड का आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- बी-1-1840/दस-2003 दिनांक 29 अप्रैल, 2003 द्वारा किया गया था, तथा शासनादेश संख्या 226/29-8-2003-सीपी0 45/2000 दिनांक 07 मार्च, 2003 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरमों हेतु बजट का आवंटन उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्षों को किये जाने एवं उन्हें जिला उपभोक्ता फोरमों के बजट का नियंत्रक एवं स्वीकृतकर्ता बनाये जाने के आदेश जारी किये गये थे। इसी क्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल वित्त (लेखा) अनुभाग -2 के परिपत्र संख्या- ए-2-1637/दस- 14(1)/75 दिनांक 26 जून, 1975 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित जिला उपभोक्ता फोरमों के कार्यालयों के कुशल कार्य सम्पादन हेतु समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम का कार्यालयाध्यक्ष घोषित करते हैं।

2. यह आदेश वित्त/कार्मिक विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अनिल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
- (3) माननीय अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 2, राणा प्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ।
- (4) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली।
- (5) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 2, राणा प्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ।
- (6) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (8) समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तर प्रदेश।
- (11) महानिदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- (12) समस्त जिलापूर्ति अधिकारी/पदेन सहायक निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण जिला फोरम, उत्तर प्रदेश।
- (13) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (14) निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (15) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (16) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (17) निजी सचिव/मा0 मंत्रीजी/मा0 राज्यमंत्रीगण, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- (18) वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (19) खाद्य एवं रसद विभाग, सचिव शाखा के समस्त अनुभाग एवं डेस्क इकाई- 1 एवं 2
- (20) सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग - 1
- (21) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
विशेष सचिव।